रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 540] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 17, 2014/आश्विन 25, 1936
No. 540] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 17, 2014/ASVINA 25, 1936

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 26 सितम्बर, 2014

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में अचल संपत्ति का अर्जन तथा अंतरण) विनियमावली, 2014

सा.का.नि. 733(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (1) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में अचल संपत्ति का अर्जन तथा अंतरण विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 21/2000-आर बी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

2. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में अचल संपत्ति का अर्जन तथा अंतरण) विनियमावली, 2014 कहलाएंगे ।

(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

3. विनियमों में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में अचल संपत्ति का अर्जन तथा अंतरण) विनियमावली, 2000, 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 21/2000-आर बी में, विनियम 8 के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"9. इन विनियमों के अंतर्गत अचल संपत्ति के अर्जन से संबंधित कोई भी लेन देन भारत में लागू कर क़ानूनों के अधीन होंगे ।"

[सं. फेमा. 321/2014-आर बी]

सी. डी. श्रीनिवासन, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी_: मूल विनियमावली सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में 8 मई, 2000 के सं. सा.का.नि. 407(अ) के जरिये प्रकाशित और तदुपरांत निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गई।

ए. सा.का.नि. सं. 578(अ) दिनांक 19 अगस्त, 2002

बी. सा.का.नि. सं. 557 (अ) दिनांक 22 जुलाई, 2003

सी. सा.का.नि. सं. 130 (अ) दिनांक 3 मार्च, 2006

डी. सा.का.नि. सं. 299 (अ) दिनांक 1 मई, 2009

ई. सा.का.नि. सं. 813 (अ) दिनांक 12 नवंबर, 2009

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 26th September, 2014

Foreign Exchange Management (Acquisition and Transfer of Immovable Property in India) (Amendment) Regulations, 2014

G.S.R. 733(E).—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (3) of Section 6, and sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendment in the Foreign Exchange Management (Acquisition and Transfer of Immovable Property in India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA. 21/2000-RB dated May 3, 2000), namely:—

2. Short title and commencement

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Acquisition and Transfer of Immovable Property in India) (Amendment) Regulations, 2014.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

3. Amendment of the regulations

In the Foreign Exchange Management (Acquisition and Transfer of Immovable Property in India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 21/2000-RB dated May 3, 2000), after regulation 8, the following shall be added namely:

"9. Any transaction involving acquisition of immovable property under these regulations shall be subject to the applicable tax laws in India."

[No. FEMA. 321/2014-RB]

C. D. SRINIVASAN, Chief General Manager

Foot Note : The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* G.S.R. No. 407(E), dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended *vide:*—

a. G.S.R. No. 578(E) dated August 19, 2002

b. G.S.R. No. 557(E) dated July 22, 2003

c. G.S.R. No. 130(E) dated March 3, 2006

d. G.S.R. No. 299(E) dated May 1, 2009

e. G.S.R. No. 813(E) dated November 12, 2009

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.